न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 103 / 2025

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर)

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री ग्यारसीलाल शर्मा, वेन्डर, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 23 मैसर्स मनीष शर्मा, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – एम 160/02, अमर गली, हाथीभाटा, अजमेर पिन 305002) **(खाद्य कारोबारकर्ता / वेण्डर)**
2. श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री फूलचन्द शर्मा, वेन्डर, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 23 मैसर्स मनीष शर्मा, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता – मकान नम्बर 498/9, राजेन्द्रपुरा, गली नम्बर 07, गौतम स्कूल के पास, हाथीभाटा, अजमेर पिन 305002) **(खाद्य कारोबारकर्ता / लाईसेन्सी)**

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 2 श्री मनीष शर्मा

: आदेश :–

दिनांक– **04.12.2025**

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पेठा (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.11.2024 को 12:30 पीएम पर खाद्य संरक्षा अधिकारी अजमेर स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 2/3 पर स्वीट नमकीन ट्रॉली संख्या 23 मैसर्स मनीष शर्मा के निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री महेश चन्द्र शर्मा मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक लिड कार्टून में लगभग 3.500 किलोग्राम पेठा (लूज) जिसे आम जनता कों विक्रय किया जा रहा था। उक्त पेठा लूज की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम पेठा लूज, 200/– रूपयें श्री महेश चन्द्र शर्मा को नगद देकर गवाह श्री गोपाल आर के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी महेश चन्द्र शर्मा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पेठा लूज को चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चार नमूना भाग तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1314 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर को श्री गोपाल आर सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–1314 दिनाक 26.11.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1311/एक्ट/2024/1339 दिंनांक 21.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पेठा लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 06.11.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 2 श्री मनीष शर्मा ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि भविष्य में अधिक सावधानी से कार्य करेंगे तथा ऐसी गल्ती दुबारा नहीं करेंगे। उन्होन यह भी निवेदन किया कि वे सभी उत्पाद बाजार से ही खरीदते है, उनका स्वंय का निर्मित उत्पाद कुछ भी नहीं है।

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पेठा लूज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पेठा लूज अवमानक सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. कुल **5,000/— (पाँच हजार)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 04.12.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/5682-87 दिनांक :9.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री महेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री ग्यारसीलाल शर्मा, वेन्डर, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 23 मैसर्स मनीष शर्मा, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता — एम 160/02, अमर गली, हाथीभाटा, अजमेर पिन 305002)
   (खाद्य कारोबारकर्ता/वेण्डर)
6. श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री फूलचन्द शर्मा, वेन्डर, स्वीट नमकीन ट्रॉली नम्बर 23 मैसर्स मनीष शर्मा, प्लेटफार्म नम्बर 2/3, रेल्वे स्टेशन, अजमेर।
   (स्थायी पता — मकान नम्बर 498/9, राजेन्द्रपुरा, गली नम्बर 07, गौतम स्कूल के पास, हाथीभाटा, अजमेर पिन 305002) **(खाद्य कारोबारकर्ता/लाईसेन्सी)**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर